न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 18 / 2020

निर्णय दिनांक– 28.12.2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. सुभाष सेंगवा पुत्र परसराम नाबालिग जरिये कुदरती वली माता गीता पत्नी परसराम जाति जाट निवासी गारासनी तहसील भोपालगढ़ जिला जोधपुर		1. तहसीलदार भोपालगढ़ जिला जोधपुर

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है–

1. यह है कि ग्राम आसोप चक द्वितीय तहसील भोपालगढ़ की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खाता संख्या 1023 जिसके खसरा नं. 3592 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 3593 रकबा 11 बीघा, खसरा नं. 3594 रकबा 05 बीघा 16 बिस्वा कुल खसरा 03 कुल रकबा 29 बीघा 07 बिस्वा भूमि आई हुई है जिसको आगे प्रार्थनापत्र में वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अन्य सहखातेदार के नाम की संयुक्त खातेदारी कब्जा सुद भूमि है।

2. यह है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के पुत्र का नाम अखाराम दर्ज है जो फौतेदगी नामान्तरकरण भरते समय दर्ज कर दिया गया तथा घर परिवार व बोल–चाल की भाषा में प्रार्थी का नाम अखाराम होने के कारण राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थी के पुत्र का नाम अखाराम दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी के पुत्र का नाम सुभाष सेंगवा पुत्र परसराम है जिसको प्रार्थी पुत्र का नाम दुरूस्त करवाने की अधिकारी है। प्रार्थी के पुत्र के आधार कार्ड, शैक्षणिक योग्यता, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी में प्रार्थी के पुत्र का नाम सुभाष सेंगवा पुत्र परसराम दर्ज है। इसलिये न्यायहित में वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का सही नाम सुभाष सेंगवा पुत्र परसराम इन्द्राज करवाने का निवेदन किया।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार भोपालगढ को सम्मन जारी किया गया एवं तहसीलदार भोपालगढ़ द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसमें बताया गया कि हल्का पटवारी आसोप की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थी का नाम अखाराम पुत्र परसराम के स्थान पर सुभाष सेंगवा पुत्र परसराम किया जाता है तो भूमिधारी तहसीलदार भोपालगढ़ को कोई आपति नही है।

28.12.2020

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

Scanned with CamScanner

हमने तहसीलदार भोपालगढ़ के जवाब प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी तत्पश्चात् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भोपालगढ को आदेशित किया जाता है कि निर्णय में वर्णित वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में अखाराम पुत्र परसराम के स्थान पर सुभाष सेंगवा उर्फ अखाराम पुत्र परसराम किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.12.2020

सुखाराम पिण्डेल
सहायक कलक्टर
(आर.ए.एस.) अधिकारी
भोपालगढ़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भोपालगढ़

Scanned with CamScanner